# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

**पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.**

---

**मैनुअल प्र.सं. : 22/2023**
**जीसीएमएस : 2023/00366**

1. **सुखविन्द्र कौर पुत्री श्री रणजीतकोर उर्फ जोगेन्द्र कौर पत्नि श्री सुखदेव सिहं जाति नाई निवासी बारेवाला जाटान तहसील व जिला मानसा (पंजाब)**

**–:प्रार्थी**

**बनाम**

1. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर**

**–:अप्रार्थी**

**उपस्थिति :–**

1. श्री जितेन्द्र सोनी , वकील प्रार्थी

**अन्तर्गत धारा 136 एलआर.एक्ट**

## –: निर्णय :–

दिनांक : 04.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया **सुखविन्द्र कौर पुत्री श्री रणजीतकोर उर्फ जोगेन्द्र कौर पत्नि श्री सुखदेव सिहं जाति नाई निवासी बारेवाला जाटान तहसील व जिला मानसा (पंजाब)** ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से चक लखा टिब्बा की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता सं. 471/676 के मु. नं.16 प.नं. 268/269 के 1.696 है0 बरानी भूमि व मु.न. 99 प.न. 269/273 में 3. 529है0 बारानी कुल 5.225 है0 में से 1/12 हिस्सा यानि 0.435 है0 बारानी भूमि है। इस भूमि में मुझे प्रार्थीया का नाम सुखविन्द्र कौर की जगह गोलो कौर लिखा हुआ है। जिसे में दुरूस्त करवा कर गोलो कौर की जगह सुखविन्द्र कौर करवाना चाहती हूँ । मेरा परिवार पंजाबी रीति रिवाज को मानते है ओर इस रीति रिवाज के अनुसार शादी के बाद में महिला का नाम उसके ससुराल में बदल दिया जाता है। इसी क्रम में मेरी शादी के बाद मेरा नाम गोलो कौर की जगह सुखविन्द्रकौर कर दिया गया था ओर सभी दस्तावेज सुखविन्द्रकौर के नाम से बने हुए है। मैं सुखविन्द्र कौर ही रणजीतकौर उर्फ जोगेन्द्र कौर की पुत्री हूँ। उक्त भूमि मेरी माता से विरास्तन में मिली है। मैं गोलो कौर ही सुखविन्द्र कोर हूँ अन्य कोई सुखविन्द्रकोर नहीं है ओर ना ही गोलो कौर नहीं अन्य है। उक्त नाम की दुरूस्ती करवाने के लिये दिनांक 25–10–2023 को राजस्व अधिकारी के यहॉ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था तो उन्होने ने कहॉ था कि आप पहले न्यायालय का आदेश लेकर आओं तभी आपका नाम दुरूस्त किया जायेगा। इसलिये मुझे यह वाद पेश करना पड़ रहा है। मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः उक्त विवादित भूमि में प्रार्थीया का नाम दुरूस्त फरमाया जावे। अपने प्रार्थन–पत्र के साथ आधार कार्ड सं. 251568237636 अपने नाम की फोटो प्रति प्रस्तुत की है।

अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर को जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार रायसिंहनगर से रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2023/4727 दिनांक 26.12.2023 के द्वारा पटवारी रिपोर्ट प्राप्त हुई, के अनुसार प्रार्थीया सुखविन्द्रकौर पुत्री रणजीतकौर उर्फ जेगेन्द्रकौर पत्नि सुखदेव सिहं जाति नाई सा. बारेवाला जाटान में प्रार्थना–पत्र देकर मांग की है कि चक लखाटिब्बा के मु.न. 16 –99 की कुल 5.225 में से 1/2 हिस्सा में सुखविन्द्रकौर की जगह गोलोकौर दर्ज है। जिसे सुखविन्द्रकौर किया जावे। मुताबिक रिर्पोट पटवारी के लखाटिब्बा [illegible] के फौत होने पर वारिस तस्दीक अनुसार जसवीरसिहं पुत्र गोलो कोर पुत्री [illegible] उर्फ रणजीतकौर पत्नि सुखदेवसिहं पुत्र हजारा सिहं के नाम से उर्फ [illegible] जरिये ई.नं. 2952 द्वारा गोलोकौर 1/12 हिस्सा जसवीरसिंह 1/12 हिस्सा [illegible] पुत्री रणजीतकौर उर्फ जोगेन्द्रकौर के नाम से दर्ज कर दिनांक 22.07.20[illegible] कार्यालय ग्राम पंचायत लखाहाकम सरपंच द्वारा निर्णित किया गया है। जिसमें प्रार्थीया का नाम गोलोकौर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.04.23 14:13:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

रिकार्ड में दर्ज है। अन्य केई सबूत प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थीया ने स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त रिर्पोट प्राप्त होने पर वकील प्रार्थीया को सुना गया। तहसील की रिर्पोट में कोई विरोध प्रकट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर के गोलो कौर के स्थान पर सुखविन्द्रकौर उर्फ गौलो कोर की दुरूस्ती की जानी उचित है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की रिर्पोट दिनांक 2612.2023 के अनुसार वाके चक लखा टिब्बा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता नं. 471/676 के मु.नं.16 प.नं. 268/269 के 1.696 है0 बरानी भूमि व मु.न. 99 प.न. 269/273 में 3.529है0 बारानी कुल 5.225 है0 में से 1/12 हिस्सा यानि 0.435 है0 बारानी भूमि में प्रार्थीया गोलो कौर के स्थान पर सुखविन्द्र कौर उर्फ गोलो कौर की दुरूस्ती की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

**निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.04.23 14:13:39 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner